पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – dradmin@prsu.ac.in

क्रमांक /1802 /सा.प्रशा./सूचना/एफ–01/2025 रायपुर, दिनांक 24/06/2025

प्रति,

विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशालाएं/संस्थान
विभाग प्रमुख,
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **वर्ष 2026 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री पुरस्कार प्रदान करने बाबत्।**

सन्दर्भ :– कार्या. कलेक्टर (समाज कल्याण) जिला रायपुर के पत्र क्रमांक 614/स.क./2025–26 रायपुर दिनांक 03 जून 2025

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार, **वर्ष 2026 में पद्म पुरूस्कार श्रृखंला के तहत् पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री** पुरस्कार प्रदान करने हेतु निर्धारित पात्रता एवं मापदण्ड के अनुरूप स्पष्ट अनुशंसा सहित योग्य/पात्र व्यक्तियों के नामांकन आमंत्रित किए है। तद्संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (प्रशा.)

पृ. क्रमांक /1803/सा.प्रशा./सूचना/एफ–01/2025 रायपुर, दिनांक 24/06/2025

प्रतिलिपिः–

1. विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशालाएँ/विभागीय अधिकारी को इस आशय के साथ अग्रेषित कि वे अपने अधिनस्थ समस्त शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त पत्र के संबंध में अवगत कराना चाहें।
2. संचालक, आई.क्यू.ए.सी., पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ।
3. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव (प्रशा.)

कार्यालय कलेक्टर (समाज कल्याण) जिला रायपुर

Email ID-dpsw.raipur@gmail.com, phone no. 0771-4919323

क्रमांक / 614 / स.क. / 2025–26 रायपुर दिनांक 03 JUN 2025

प्रति,

01. **रजिस्ट्रार**
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर छ.ग.

02. **आयुक्त**
नगर पालिक निगम रायपुर / बीरगांव

01. **जिला शिक्षा अधिकारी**
रायपुर छ.ग.

04. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
जनपद पंचायत आरंग, अभनपुर, धरसींवा, तिल्दा
जिला रायपुर छ.ग.

05. **मुख्य नगर पालिका अधिकारी**
नगर पालिका परिषद गोबरानवापारा, तिल्दा नेवरा, आरंग, अभनपुर
जिला रायपुर

06. **मुख्य नगर पंचायत अधिकारी**
नगर पंचायत माना कैम्प, खरोरा,कुरां, मंदिर हसौद, चन्दखुरी, समोदा
जिला रायपुर छ.ग.

07. **अधीक्षक**
....
....
....

08. **अध्यक्ष / सचिव**
....
....
....

विषय :— **वर्ष 2026 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री पुरस्कार प्रदान करने बावत्।**

संदर्भ :— संचालक समाज कल्याण संचालनालय छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक / स.क. / प.श्री.पु. / 2025 / 767 / रायपुर दिनांक 29.04.2025

——00——

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के निर्देशानुसार पद्म पुरूस्कार श्रृखंला के तहत पद्म विभुषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री पुरूस्कार प्रदान करने हेतु निर्धारित पात्रता एवं मापदंड के अनुरूप स्पष्ट अनुशंसा सहित योग्य / पात्र व्यक्तियों के नामांकन ऑनलाईन प्रस्ताव http://awards.gov.in में दिनांक 15.07.2025 तक सीधे सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराते हुए कार्यालय समाज कल्याण जिला रायपुर को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला रायपुर छ.ग.

समाज कल्याण विभाग छ.ग.शासन द्वारा दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, उभयलिंगी समूह के लिए संचालित योजनाओ में आ रही समस्याओ के त्वरित निराकरण हेतु हेल्प लाईन नंबर 155326 टोलफ्री नंबर 1800-233-8989 में संपर्क कर सकते हैं।

पृ.क्रमांक / 615 / स.क. / 2025–26 रायपुर दिनांक 03 JUN 2025

प्रतिलिपि :–

01. संचालक समाज कल्याण संचालनालय छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक / स.क. / प.श्री.पु. / 2025 / 767 / रायपुर दिनांक 29.04.2025 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
03. समाज शिक्षा संगठक जनपद पंचायत धरसींवा,तिल्दा,आरंग, अभनपुर जिला रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला रायपुर छ.ग.

समाज कल्याण विभाग छ.ग.शासन द्वारा दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, उभयलिंगी समूह के लिए संचालित योजनाओ में आ रही समस्याओ के त्वरित निराकरण हेतु हेल्प लाईन नंबर 155326 टोलफी नंबर 1800-233-8989 में संपर्क कर सकते हैं।

समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़
समाज कल्याण परिसर, माना कैम्प ,रायपुर

Ph.No.-0771-2277901, E-mail ID- dpsw.cg@gov.in, Web- www.sw.cg.gov.in,Helpline-155326

क्रमांक / स.क. / 429 / 2024 / 504 रायपुर, दिनांक 27/ 05 / 2024

प्रति,

समस्त संयुक्त / उप / सहायक संचालक,
जिला कार्यालय समाज कल्याण,
छत्तीसगढ़

विषय :- वर्ष 2025 में पदम विभूषण, पदम भूषण एवं पदम श्री पुरस्कार प्रदान करने बाबत्।

--::0::--

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के पत्र क्र एस 4-09/2019/26 (पार्ट) दिनांक 16.05.2024 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र एफ 4-1/2024/1/5, दिनांक 08.05.2024 सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित हैं। पदम पुरस्कार श्रृंखला के तहत पदम विभूषण, पदम भूषण एवं पदम श्री पुरस्कारों के लिए वर्ष 2025 हेतु ऑनलाईन नामांकन प्रस्ताव (http://awards.gov.in) में चाहा गया हैं।

अतः निर्धारित पात्रता एवं मापदण्ड के अनुरूप योग्य/पात्र व्यक्तियों के नामांकन प्रस्ताव जिला कार्यालय एवं अधिनस्थ शासकीय संस्थाओं की जानकारी संकलित कर संचालनालय को दिनांक 18.06.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न – यथोपरि ।

Rohini

संचालक
समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़,रायपुर

पृ. क्र. / स.क. / 429 / 2024 / 505 रायपुर, दिनांक 27/05 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को उनके पत्र दिनांक 16.05.2024 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

Rohini

संचालक
समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़,रायपुर

संयुक्त संचालक
समाज कल्याण
जिला - रायपुर (छ.ग.)
28 MAY 2024

श्री मूलचंद

आवक 162/स.क.
दिनांक 28.5.24

Scanned with ACE Scanner

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक एफ 4–09/2019/26 (पार्ट) नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16 /05/2024

प्रति,

संचालक,
समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :– वर्ष 2024 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री पुरस्कार प्रदान करने बाबत्।

––::00::––

विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्र. एफ 4–1/2024/1–5, दिनांक 08.05.2024 एवं सहपत्रों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत "पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री" पुरस्कारों के लिये वर्ष 2025 हेतु नामांकन ऑनलाईन चाही गई है।

3/ पुरस्कार के लिये निर्धारित पात्रता एवं मापदंड के अनुरूप स्पष्ट अनुशंसा सहित योग्य/पात्र व्यक्तियों के नामांकन प्रस्ताव दिनांक 30.08.2024 तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चाही गई है।

अतएव उपरोक्तानुसार नामांकन प्रस्ताव दिनांक 31.07.2024 तक अनिवार्यतः इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

16/5/24

(गौरीशंकर शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

AD

DD(SW)

ADD. DIR.
SW (C.G.)

समाज कल्याण संचालनालय (छ.ग.)
आवक क्र. 450
दिनांक 17.5.24
माना कैम्प, रायपुर पिन-492015

Letters2021.docx

Scanned with ACE Scanner

समय–सीमा

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक-एफ 4–1/2024/1–5 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 08/05/2024

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।

विषय : वर्ष 2025 में पदम विभूषण, पदम भूषण एवं पदम श्री पुरस्कार प्रदान करने बाबत्।

---000---

उपर्युक्त विषय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को संबोधित अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक–1/22/2024-पब्लिक, दिनांक–29 अप्रैल 2024 की छायाप्रति संलग्न है।

2/ भारत सरकार द्वारा पदम पुरस्कार श्रृंखला के तहत् ''पदम विभूषण'', ''पदम भूषण'' तथा ''पदम श्री'' पुरस्कारों के लिये वर्ष 2025 हेतु नामांकन प्रस्ताव दिनांक–15 सितंबर, 2024 तक ऑनलाईन (https://awards.gov.in) के माध्यम से चाही गई है।

3/ अतः आदेशानुसार लेख है कि पुरस्कार के लिये निर्धारित पात्रता एवं मापदंड के अनुरूप स्पष्ट अनुशंसा सहित योग्य/पात्र व्यक्तियों के नामांकन प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा संलग्न पत्र में दिए गए निर्देशानुसार <u>दिनांक–30 अगस्त 2024 तक इस विभाग को अनिवार्यतः भिजवाने का कष्ट करें</u>, उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले नामांकन पर विचार नहीं किये जायेंगे।

4/ <u>कृपया इसे प्राथमिकता देवें।</u>

संलग्न : *उपरोक्तानुसार।*

(अंशिका ऋषि पाण्डेय)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

10 MAY 2024

Scanned with ACE Scanner

सत्यमेव जयते

JOINT SECRETARY (PUBLIC)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

अप्रैल 29, 2024

अ.शा. सं. 1/22/2024-पब्लिक

आदरणीय महोदय/महोदया,

पद्म पुरस्कार, अर्थात्, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इस पुरस्कार में "उत्कृष्ट कार्य" को मान्यता प्रदान की जाती है और इसे सभी क्षेत्रों/विषयों जैसे कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, किसी जाति, व्यवसाय, हैसियत या लिंग के भेदभाव के बिना, इन पुरस्कारों के पात्र है।

2. इन पुरस्कारों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ-साथ अनेक अन्य स्रोतों से भी नामांकन आमंत्रित करने की परंपरा है ताकि इन पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा सके।

3. पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन/सिफारिशें केवल ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर स्वीकार की जाएंगी जिसे इसी उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है। नामांकन/सिफारिश में अनुशंसित व्यक्ति की उससे संबन्धित क्षेत्र/विषय में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए विवरणात्मक रूप में प्रशस्ति पत्र (अधिकतम 800 शब्द) सहित उपर्युक्त पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में उल्लिखित सभी प्रासंगिक जानकारी दी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन सिफारिश करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी आवश्यक विवरण ठीक से भरे गए हैं। ऑनलाइन सिफारिश करने की क्रमवार प्रक्रिया उपर्युक्त पोर्टल https://awards.gov.in पर बताई गई है। इन पुरस्कारों से संबंधित विधान और नियमावली वेबसाइट https://padmaawards.gov.in पर भी उपलब्ध है।

4. अतीत में देखा गया है कि बड़ी संख्या में व्यक्तियों के संबंध में नामांकन प्राप्त होते हैं; लेकिन असाधारण योगदान के बावजूद कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों के नाम पर विचार नहीं किया जाता है। ज्यादातर ऐसे लोगों की मुख्य रूप से इस कारण से अनदेखे रहने की संभावना रहती है कि उन्हें अपने सार्वजनिक जीवन में प्रचार या प्रमुखता की आकांक्षा नहीं रहती है। इसलिए, अनुरोध है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के पूरे प्रयास किए जाएं जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धियां सम्मान योग्य हैं, और उनका उपयुक्त नामांकन किया जाए। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऐसे योग्य व्यक्तियों के सम्मान से इन पुरस्कारों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार के लिए उपयुक्त नामांकन प्रेषित करें। इस संबंध में, यह सुझाव दिया जाता है कि आप पहचान, विचार और अपनी संस्तुति/नामांकन को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन कर सकते हैं। सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए: -

Room No. 94-B, North Block, New Delhi 110001
Tele : +91-11-23092125, 23092035, E-mail : [illegible]

2.5.2024

Scanned with ACE Scanner

(i) जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गई है, उनकी जीवनभर की उपलब्धि को देखते हुए, वे इस पुरस्कार के सर्वथा योग्य हों। चयन के लिए मानदंड अनिवार्य रूप से 'अत्यंत उत्कृष्ट' होना चाहिए और इन पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करते समय उच्चतम मानदंडों के आधार को अपनाना चाहिए। पुरस्कार के लिए अनुशंसित व्यक्ति की उपलब्धियों में सार्वजनिक सेवा एक वांछनीय घटक होगा।

(ii) चूंकि पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसलिए यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या अनुशंसित व्यक्ति को इससे पहले उनके संबंधित क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अथवा नहीं।

(iii) इन पुरस्कारों के लिए महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों, आदि में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयास किए जाएं जो पुरस्कार के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं।

(iv) यह पुरस्कार आमतौर पर मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तथापि, अत्यंत पात्र मामलों में, सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार कर सकती है, यदि सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति का निधन हाल ही के उस गणतंत्र दिवस से पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर हुआ हो, जिस पर पुरस्कार की घोषणा किए जाने का प्रस्ताव है।

(v) उच्चतर श्रेणी के पद्म पुरस्कार के लिए उस व्यक्ति के बारे में भी विचार किया जा सकता है जिन्हें यह पुरस्कार पहले प्रदान किया गया हो, बशर्ते इस बीच कम से कम पांच साल की अवधि बीत गई हो। हालांकि, असाधारण रूप से पात्र मामलों में छूट देने पर भी विचार किया जा सकता है।

(vi) डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में काम करने वाले व्यक्तियों सहित सरकारी सेवक, पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं।

6. यह महत्वपूर्ण है कि आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से नामांकन/ सिफारिश एक प्रक्रिया के माध्यम से आए । पद्म पुरस्कारों के लिए उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए आप एक समिति गठित करने पर विचार कर सकते हैं एवं उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष योग्य उम्मीदवारों को नामित कर सकते हैं ।

7. पद्म पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिश का कार्य **1 मई, 2024** से शुरू होगा और नामांकन की अंतिम तिथि **15 सितम्बर, 2024** है । अंतिम तिथि का सख्ती से पालन किया जाए क्योंकि 1 मई, 2024 से 15 सितम्बर, 2024 के बीच प्राप्त नामांकनों पर ही विचार किया जाएगा। **यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल ऑनलाइन प्राप्त नामांकन/सिफारिशों पर ही विचार किया जाएगा।**

सादर,

भवदीय,

जि. पार्थसारथी

(जी. पार्थसारथी)

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार के मुख्य सचिव/प्रशासक

Scanned with ACE Scanner

JOINT SECRETARY (PUBLIC)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

D.O. No. 1/22/2024-Public

April 29, 2024

Dear Madam/ Sir,

The Padma Awards, namely, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in 1954, these Awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize 'work of distinction' and is given for distinguished and exceptional achievements/service in all fields/disciplines, such as, Art, Literature and Education, Sports, Medicine, Social Work, Science and Engineering, Public Affairs, Civil Service, Trade and Industry etc. All persons without distinction of race, occupation, position or sex are eligible for these Awards.

2. It is the convention to invite nominations for these Awards from all States/ UT Governments as also from several other sources to enable broad-based consideration.

3. The nominations/recommendations for the Padma Awards will be received only online through Rashtriya Puraskar portal https://awards.gov.in designed for this purpose. The nominations / recommendations should contain all relevant details specified in the format available on the above portal, including a citation in narrative form (maximum 800 words), clearly bringing out the distinguished and exceptional achievements/service of the person recommended in his/her respective field/discipline. While recommending a person online, it should be ensured that all the necessary details are properly filled. The steps to be taken for making online recommendations are available on above said portal https://awards.gov.in . A copy of the statutes and rules governing these Awards is also available on the website: https://padmaawards.gov.in .

4. It has been observed in the past that while nominations are received in respect of a large number of persons; there could, however, be several talented persons who are left out of consideration despite exceptional contribution in their field. Often many such persons may get overlooked primarily for the reason that they may not seek publicity or attention in the public domain. It is, therefore, requested to make concerted efforts in identifying such persons whose excellence and achievements deserve to be recognized and make suitable nominations in their favour. It goes without saying that recognition of such deserving persons will only add to the prestige of these Awards.

5. In the above background, I request you to kindly send suitable nominations for the Padma Awards to be announced on the occasion of Republic Day, 2025. In this regard, it is suggested that you may constitute a Special Search Committee for identifying, considering and finalizing your recommendations/nominations. While finalizing recommendations, the following points may be kept in view:-

Room No. 94-B, North Block, New Delhi-110001
Tele. : +91-11-23092125, 23092032, E-mail : [illegible]

Scanned with ACE Scanner

Persons recommended are pre-eminently worthy of the Awards, looking at their life-time achievements. The criteria for selection should invariably be 'excellence plus' and highest standards should be applied while recommending persons for these awards. The existence of an element of public service in the achievements of the person recommended for the award would be a desirable factor.

(ii) As the Padma Award is the second highest civilian award of the country, it should also be considered whether the recommended person has earlier been given any National award or a State award in his/her respective field.

(iii) Efforts may be made to identify talented persons from amongst women, weaker sections of the society, SCs & STs, divyang persons, etc., who deserve to be considered for the award.

(iv) The decoration is normally not conferred posthumously. However, in highly deserving cases, Government could consider giving an award posthumously if the demise of the person proposed to be honoured has been recent, say within a period of one year preceding the Republic Day on which it is proposed to announce the award.

(v) A higher category of Padma Award can be considered in respect of a person who has earlier been conferred an award, provided a period of at least five years has elapsed. However, in exceptionally deserving cases, a relaxation can also be considered.

(vi) Government servants including those working with PSUs, except Doctors and Scientists, are not eligible for Padma Awards.

6. **It is important that nomination/recommendation from your State/UT Government comes through a process. You may consider constituting a Committee to identify candidates for Padma Awards in your State/UT and nominate the top deserving candidates keeping in view the body of their work.**

7. The online nominations / recommendations for the Padma Awards will begin from **May 1st, 2024** and the last date for nominations is **September 15th, 2024**. The cut-off date may please be strictly adhered to as nominations / recommendations received only during 1st May, 2024 to 15th September, 2024 will be considered. It may also be noted that the **nominations/recommendations received through online mode only will be considered.**

With regards,

Yours sincerely,

(G. Parthasarathi)

To,
Chief Secretaries/Administrators of all States/UT Governments

Scanned with ACE Scanner